# न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

## पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 02/2020 आर्म्स अपील (GCMS/2020/00330)
पंजीयन दिनांक - 10.12.2020
निर्णय दिनांक - 10.01.2022

1. **श्री लेहरूदास वैष्णव पिता श्री नारायणदास वैष्णव, महादेव मंदिर के पास, पो. तासोल, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द।**

**-अपीलार्थी**

**बनाम**

1. **राज्य सरकार जरिये जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर, राजसमन्द।**

**-प्रत्यर्थी**

**उपस्थिति दौराने बहसः-**

2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - अधिवक्ता प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश दिनांक 07.07.2020, क्रमांक एफ.21/11(7)श.ला. /जांच/न्याय/2019/9485**

## निर्णय

दिनांक 10.01.2022

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश दिनांक 07.07.2020, क्रमांक एफ.21/11(7)श.ला./जांच/न्याय/2019/9485 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी श्री लेहरूदास द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द समक्ष स्वंय सुरक्षा हेतु हैंडगन पिस्टल के शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत बाबत आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रकरण में जांच अधिकारीगण-जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द, पुलिस अधीक्षक सीआईडी-राज्य विशेष शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, उदयपुर, उपवन संरक्षक वन्य जीव-राजसमन्द, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार ''सुरक्षा संबंधी कोई ठोस कारण न होने से'' आवेदक द्वारा आत्मरक्षार्थ हैंडगन पिस्टल का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्ति संबंधी प्रस्तुत आवेदन जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा आदेश एफ.21/11(7)श.ला. /जांच/न्याय/2019/9485 दिनांक 07.07.2020 से निरस्त कर दिया।

- उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी श्री लेहरूदास वैष्णव द्वारा दिनांक 08.12.2020 को इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम के प्रस्तुत की। लेख है कि उक्त आदेश दिनांक 07.07.2020 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 10838/2020 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.11.2020 से उक्त रिट पीटीशन को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को सक्षम स्तर पर एक माह में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए अपीलीय अधिकारी को गुणावगुण अपील निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अभिलेख तलब किया गया। अपीलार्थी बावजुद सूचना अनुपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। **उल्लेखनीय है कि न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील प्रस्तुतीकरण के उपरान्त कुल 11 पेशियां प्रदान की गई, उक्त 11 पेशियों के दौरान अपीलार्थी श्री लेहरूदास सिर्फ 1 पेशी दिनांक 13.09.2021 को उपस्थित हुआ जो यह दर्शाता है कि अपीलार्थी को अपीलीय कार्यवाही में कोई रूचि नहीं है। फिर भी न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.11.2020, जिसमें अपीलीय अधिकारी को प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने के निर्देश है, की ससम्मान पालना के दृष्टिगत अपीलार्थी/याची श्री लेहरूदास को अवसर प्रदान किये गये।** माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.11.2020 की अनुपालना में प्रस्तुत अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेज के आलोक में निम्नानुसार निस्तारित की जा रही है।

**विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित किया है** कि अपीलार्थी पेशे से एक लोकगायक है एवं कुछ समय पुर्व देर रात्रि वह अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसे डराया एवं धमकाया गया जिस पर अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द समक्ष स्वंय सुरक्षा हेतु हैंडगन पिस्टल के शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत बाबत आवेदन पेश किया। आवेदन के साथ आवेदक द्वारा समस्त वांछित दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये। तहसीलदार कुंवारिया द्वारा अपने रिपोर्ट में आवेदक को शस्त्र लाईसेंस दिया जाना उचित माना है। इसी प्रकार पुलिस उप अधीक्षक वृत्त कुम्भलगढ़, पुलिस थान, केलवा, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द, जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द, उपवन संरक्षक, वन्य जीव, राजसमन्द, द्वारा भी आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने में अनापत्ति जाहिर की। फिर भी जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी का आवेदन बिना किसी आधार एवं नियमों के विरूद्ध निरस्त कर दिया। अतः उक्त आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें।

**विद्वान राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।**

**हमने उपस्थित राजकीय पेरोकार की बहस, अपील मेमों में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।**

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी श्री लेहरूदास द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द समक्ष नवीन शस्त्र हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत बाबत आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त की गई। आयुध अधिनियम की धारा-14(1)(ख)(प)(3) अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी अध्याय 2 अधीन के किसी भी मामलें में अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से वहा इन्कार करेगा जहां कि इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिये किसी कारण से अयोग्य है। उक्त आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रकरण में जांच अधिकारीगण-जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द, पुलिस अधीक्षक सीआईडी-राज्य विशेष शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, उदयपुर, उपवन संरक्षक वन्य जीव-राजसमन्द, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार ''सुरक्षा संबंधी कोई ठोस कारण न होने से'' आवेदक द्वारा आत्मरक्षार्थ हैंडगन पिस्टल का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्ति संबंधी प्रस्तुत आवेदन जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा आदेश एफ.21/11(7)श.ला./जांच/न्याय/2019/9485 दिनांक 07.07.2020 से निरस्त कर दिया। आर्म्स रूल्स् 2016 के नियम 12 अनुसार शस्त्र लाईसेंस ऐसे व्यक्तियों को जारी किया जा सकता है, जिनके जीवन को गंभीर या संभावित खतरा हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध विभिन्न विभागों की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी का आचरण अच्छा है, वह साबका सजायाब नहीं है। यह स्थित प्रकट करती है कि अच्छे आचरण वाले व्यक्ति की किसी व्यक्ति से कोई रंजिश नहीं हो सकती है। न ही अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जिससे यह प्रकट होता है कि उसे किसी से जान का खतरा हो और कभी उस पर जानलेवा हमला इत्यादि की धटना हुई हो। ऐसी स्थिति में तथ्यों से यह प्रकट नहीं होता है कि अपीलार्थी को किस प्रकार से जान का खतरा है। उक्त सभी तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया गया उसमें कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है, उक्त आदेश विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण से सुसंगत नहीं होने से चस्पा नहीं होता है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द का आदेश दिनांक 07.07.2020 में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं होने से **अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है** और **जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2020 यथावत रखा जाता है।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। निर्णय सुनाया गया।

( राजेन्द्र भट्ट )
संभागीय आयुक्त, उदयपुर